# भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 15B/2018-19

सती महतो **बनाम** भारती महतो

:: आदेश::

| दिनांक | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 30-08-18 | | |

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 1179 दिनांक 19.06.2018 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 15B / 2018-19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता सती महतो पति स्व० लक्ष्मी कान्त महतो, ग्राम–शिव मंदिर के पास छोटा गम्हरिया, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता भारती महतो, पति कार्तिक महतो, ग्राम–शांति नगर गम्हरिया बलरामपुर, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

| मौजा | थाना न0 | खाता न0 | खेसरा न0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| छोटा गम्हरिया | 67 | 74 | 278 | 2½डी0 |

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पति के दादाजी के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने पति के मृत्यु उपरांत अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है। जिसमें से 2½डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.37.50 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 2½डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

30/8

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सरायकेला।